छत्तीसगढ़ विधान सभा

(चतुर्थ)

फरवरी, 2018 सत्र

वित्तीय वर्ष 2018—2019 के लिये अनुदानों की मांगों

पर

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या — 1, 2, 6, 60, 12, 25, 32, 71, 65

मांग संख्या — 82, 33, 41, 42, 49, 53, 64, 66, 68, 15, 83, 27

मांग संख्या — 3, 4, 5, 20 से संबंधित

भाग - तीन

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्र	मान. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण
1.	**डॉ. रमन सिंह**	1	सामान्य प्रशासन
		2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
		6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय
		60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
		12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय
		25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय
		32	जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय
		71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
		65	विमानन विभाग
2.	**श्री केदार कश्यप**	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
		33	आदिम जाति कल्याण
		41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना
		42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल
		49	अनुसूचित जाति कल्याण
		53	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
		64	अनुसूचित जाति उपयोजना
		66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण
		68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—भवन
		15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
		83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
		27	स्कूल शिक्षा
3.	**श्री रामसेवक पैकरा**	3	पुलिस
		4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय
		5	जेल
		20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

इस संकलन में छत्तीसगढ़ विधान सभा के फरवरी, 2018 सत्र में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2018—2019 के आय—व्ययक के संबंध में उपर्युक्त मांग संख्याओं से संबंधित माननीय सदस्यों से प्राप्त कटौती प्रस्तावों की ग्राह्य सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है, कटौती प्रस्तावों में आंशिक रूप में कुछ आवश्यक सुधार किये गये है।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिये अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव भाग – तीन में सम्मिलित मांग संख्याओं पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :–

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष
2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य
3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य
4. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) रेणू जोगी, सदस्य
6. श्री भोलाराम साहू, सदस्य
7. श्री अरूण वोरा, सदस्य
8. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य
9. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य
10. श्री अमरजीत भगत, सदस्य
11. श्री कवासी लखमा, सदस्य
12. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य
13. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य
14. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य
15. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य
16. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य
17. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य
18. श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य
19. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य
20. श्री मोहन मरकाम, सदस्य
21. श्री संतराम नेताम, सदस्य
22. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य
23. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य
24. श्री दीपक बैज, सदस्य
25. श्री केशव चन्द्रा, सदस्य
26. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य
27. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य
28. श्री पारसनाथ राजवाड़े, सदस्य
29. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य
30. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य
31. श्री गुरूमुख सिंह होरा, सदस्य
32. श्री रामदयाल उईके, सदस्य

मांग संख्या– 1

सामान्य प्रशासन

मतदेय राशि **रूपये 3,24,98,10,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –1

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) नगरीय निकास क्षेत्र में रहने वाले आरक्षित वर्ग के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के प्रक्रिया के सरलीकरण का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश के समस्त विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति करने का कोई उल्लेख नहीं है।
(3) भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित होने के बाद भी दोषियों पर कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।
(4) फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर संवैधानिक लाभ प्राप्त कर रहे लोक सेवकों के विरूद्ध कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रशासनिक भ्रष्टाचार को रोकने हेतु प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।
(2) विभागों में व्याप्त कमीशनखोरी रोकने का प्रावधान नहीं है।
(3) आरक्षित वर्ग के बैकलाग के रिक्त पदों पर पूर्ति करने का उल्लेख नहीं है।
(4) भ्रष्टाचार में नियंत्रण हेतु सशक्त लोकपाल के गठन का प्रावधान नहीं है।
(5) सरकारी संस्थाओं के सुदृढ़िकरण के उपायों का उल्लेख नहीं है।

3. श्री धनेन्द्र साहू , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश की जीरो टारलेन्स के तहत् किये गये भ्रष्टाचार प्रमाणित होने के बाद भी दोषियों पर कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।
(2) जल संसाधन विभाग एवं लोक निर्माण विभा में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने तथा दोषियों पर कार्यवाही करने का प्रावधान नहीं है।
(3) भ्रष्टाचार रोकने हेतु सशक्त लोकपाल बनाने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जनशिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रशासनिक आतंकवाद को रोकने का उल्लेख नहीं है।
(3) शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
(4) प्रदेश के समस्त विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
(5) प्रदेश में कार्यरत संविदा/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण करने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जनशिकायतों के शीघ्र निराकरण हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(2) भ्रष्टाचार रोकने हेतु सशक्त लोकपाल बनाने का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश में आयोजित सभी भर्ती एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में युवा बेरोजगारों को परीक्षा शुल्क माफ करने का उल्लेख नहीं है।
(4) प्रदेश के निर्वाचित विधायकों की विधायक निधि बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने संबंध योजना का उल्लेख नहीं है।

7. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को राहत पहुंचाने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश में संविदा कर्मियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश में अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भत्ते में वृद्धि का उल्लेख नहीं है।
(4) लोक समाधान एवं लोक सुराज से प्राप्त जन सुविधाओं हेतु मांग पत्रों का निराकरण का उल्लेख नहीं है।

8. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों की मांगों की पूर्ति, संविदा कर्मचारियों के नियमितिकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्री गुरूमुख सिंह होरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

लोक सुराज, मुख्यमंत्री जनदर्शन से प्राप्त शिकायतों के समुचित निराकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) संजारी–बालोद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत गुरूर में उप कोषालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
(2) संजारी–बालोद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड गुरूर में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

11. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश की जोरी टारलेन्स के तहत् किये गये भ्रष्टाचार प्रमाणित होने के बाद भी दोषियों पर कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।
(3) बस्तर में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के उपायों हेतु अनुसंधान ब्यूरों की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।
(4) प्रदेश में निर्वाचन कार्य में लगे संलग्न संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।
(5) भ्रष्टाचार को रोकने हेतु सशक्त लोकपाल बनाने का उल्लेख नहीं है।
(6) स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज व्यवस्थाओं में प्रशासनिक हस्तक्षेप रोकने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 2

सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय

मतदेय राशि **रूपये 28,36,80,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 1

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

जन शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जन शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।

3. श्री धनेन्द्र साहू , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के लोक निर्माण विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों की जांच कराने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश में निर्मित सिंचाई परियोजनाओं के कार्यों की गुणवत्ता की जांच हेतु प्रावधान का उल्लेख नहीं है।
(3) बेरोजगारी को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पेंशनरों हेतु सातवें वेतनमान का उल्लेख नहीं है।
(2) पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विधायकों की जनसंपर्क राशि बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के 22 लाख शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
(2) लोक सुराज अभियान में प्राप्त मांग पत्रों को शामिल नहीं किया गया है।
(3) मंहगाई नियंत्रण करने के लिये कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(4) विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।
(5) प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी का उल्लेख नहीं है।
(6) उज्जवला योजनांतर्गत बहुत बड़ी आबादी जो सर्वे में छूट गई है उन्हें जोड़कर लाभ दिलाने का उल्लेख नहीं है।
(7) अमरकंटक को छत्तीसगढ़ में शामिल करने का उल्लेख नहीं है।
(8) वर्ष 2013 के घोषणा पत्र को पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।

(9) प्रदेश में सकल राज्य घरेलू उत्पादन 13.78 प्रतिशत से घटकर 2.89 प्रतिशत रह गई है। बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

(10) प्रदेश में शराबबंदी कानून बनाने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में गुणवत्ताविहीन प्रधानमंत्री सड़क योजना, जलसंसाधन एनीकट निर्माण की जांच करने का उल्लेख नहीं है।

(2) बेरोजगारों को रोजगारी भत्ता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(3) जन शिकायतों के त्वरित निराकरण करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 6
वित्त विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 54,94,53,46,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 4

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाये जाने का उल्लेख नहीं है।
(2) देश के अन्य शहरों में छत्तीसगढ़ भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश में चिटफंड कंपनियों के संचालन को रोकने के लिये कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(4) प्रदेश के कर्मचारियों को केन्द्र के समान बाल शिक्षा भत्ता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
(5) प्रदेश में बढ़ती मंहगाई के नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।
(6) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का उल्लेख नहीं है।
(7) प्रदेश के विभिन्न विभागों में दीर्घ अवधि से कार्यरत् कम्प्यूटर ऑपरेटरों के पदों के उन्नयन अथवा पदोन्नति करने का उल्लेख नहीं है।
(8) फजी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय सेवा कर रहे कर्मचारियों पर कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।
(9) सीमेंट एवं स्टील को कम दर पर प्रदेश वासियों को विक्रय करने का उल्लेख नहीं है।
(10) राज्य शासन के कर्मचारियों को चार स्तरीय वेतनमान देने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सीमेंट एवं स्टील की कीमतों को नियंत्रित करने का उल्लेख नहीं किया गया है।
(2) चिटफंड कम्पनियों से राशि वसूल कर उपभोक्ताओं को दिये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) फर्जी चिटफंड कंपनियों के द्वारा धोखाधड़ी कर नागरिकों के लिये धन वापसी हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं किया गया है।
(2) अभनपुर विधान सभा के विभिन्न सड़क एवं सिंचाई कार्यों हेतु राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश में शासकीय विभागों की स्थापना व्यय को कम कर अधिक राशि उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं किया गया है।
(4) शासन के गलत फेसले से प्रदेश में कर्ज में डूबे नागरिकों हेतु सशक्त उपायों करने के संबंध कोई उल्लेख नहीं है।
(5) प्रदेश में फर्जी चिटफंड कम्पनियों से लोगों की जमा राशि वसूल कर उपभोक्ताओं को दिये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री अरूण वोरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को सातवां वेतनमान के एरियर्स का भुगतान करने का उल्लेख नहीं किया गया है।
(2) दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें कम करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
(3) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवित आश्रित परिवारों को पेंशन दिये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

5. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शासकीय कर्मचारियों को चार स्तरीय वेतनमान देने का उल्लेख नहीं किया गया है।
(2) प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को सातवां वेतनमान के एरियर्स का भुगतान करने का उल्लेख नहीं किया गया है।
(3) प्रदेश में बढ़ती मंहगाई के नियंत्रण हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं किया गया है।

6. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को सातवां वेतनमान के एरियर्स का भुगतान करने का उल्लेख नहीं किया गया है।

7. श्री गुरूमुख सिंह होरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को सातवां वेतनमान के एरियर्स का भुगतान करने का उल्लेख नहीं किया गया है।

8. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
(2) पिछड़े क्षेत्रों में बैंकिग की सुविधा में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।
(3) किसानों के बिजली बिल माफ करने का उल्लेख नहीं है।
(4) प्रदेश के विधायकों की जनसम्पर्क मद की राशि बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
(5) बस्तर जिले में फर्जी मुठभेड़ रोकने के उपाय करने में सरकार असफल रही है।
(6) विधान सभा सदस्यों की विधायक निधि राशि बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री संतराम नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ की मंहगाई को रोकने में सरकार असफल रही है।

10. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) राज्य शासन पर चल रहे ऋण भार को कम करने तथा प्रदेश को ऋण मुक्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।
(2) दंतेवाड़ा में गरीबों के परिवारजन सहित आने वाले नवीन आश्रयहीन गरीब व्यक्तियों / परिवारों के रहने हेतु अस्थायी विभागीय सामुदायिक भवन/ सरकारी धर्मशाला/आश्रम केन्द्र के निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

11. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

डीजल एवं पेट्रोल पर वैट टैक्स से राहत प्रदान करने का उल्लेख नहीं किया गया है।

12. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में 15-20 वर्षों से कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं किया गया है।
(2) प्रदेश के पेंशन भोगियों के पेंशन राशि में वृद्धि करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
(3) शासकीय कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति देने का उल्लेख नहीं किया गया है।

(4) प्रदेश में कार्यरत संविदा/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का उल्लेख नहीं किया गया है।
(5) दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
(6) प्रदेश के पेंशनधारी अधिकारी/कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।
(7) प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को सातवां वेतनमान के एरियर्स का भुगतान करने का उल्लेख नहीं किया गया है।
(8) प्रदेश के बेरोजगारों को मुद्रा लोन योजन के तहत् ऋण उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं किया गया है।

13. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विधान सभा सदस्यों की निधि में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं किया गया है।
(2) माननीय विधायकों की जनसम्पर्क निधि में वृद्धि कर 6 लाख करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश शासकीय अधिकारियों/ कर्मचारियों को वेतनभत्ता एवं अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी करने का उल्लेख नहीं किया गया है।
(4) विधायकों का वेतनभत्ता अन्य सुविधा बढ़ाने का उल्लेख नहीं किया गया है।
(5) निराश्रित वृद्ध निःशक्तजन तथा वृद्धा पेंशन की राशि 600 रू. करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
(6) प्रदेश के जीवनोपयोगी वस्तुओं की बढ़ रही कीमतों पर नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं किया गया है।
(7) प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं किया गया है।
(8) प्रदेश में खाद सामग्रियें की कालाबाजारी एवं मिलावट के नियंत्रण हेतु कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
(9) प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के निर्माण में वित पोषण के स्त्रोतों का उल्लेख नहीं किया गया है।

14. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) कर्मचारियों को सातवां वेतनमान के एरियर्स के भुगतान करने का उल्लेख नहीं किया गया है।
(2) प्रमुख शहरों में विमान सेवा प्रारंभ करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
(3) 45 लाख मोबाईल फोन कब, कैस तथा किस मद से बांटे जायेंगे इसका उल्लेख नहीं किया गया है।
(4) प्रदेश में बंद पड़े दाल—भात केन्द्रों को पुनः प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं किया गया है।
(5) उज्जवला योजनांतर्गत वितरित किये गये गैस कनेक्शन की रिफलिंग में छूट देने का कोई उल्लेख नहीं है।
(6) प्रदेश के कोटवारों का मानदेय बढ़ाने एवं उनके नियमितीकरण करने का उल्लेख नहीं किया गया है।
(7) पूर्व विधायकों की पेशन वृद्धि करने का उल्लेख नहीं किया गया है।
(8) प्रदेश के उच्च शिक्षित बेरोजगारें को रोजगार के लिये शासन की गारंटी पर 10 लाख रूपये तक कर्ज दिलाने कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
(9) रावघाट रेल परियोजना शीघ्र पूर्ण करने का उल्लेख नहीं किया गया है।

15. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पेट्रोल तथा डीजल के दामों को कम करने का उल्लेख नहीं किया गया है।

16. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) राजपुर में उप कोषालय की स्थापना करने का उल्लेख नहीं किया गया है।
(2) शासकीय कर्मियों का वेतन आयोग 2016 जनवरी से सातवां वेतनमान का ऐरियर्स भुगतान करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

17. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान के एरियर्स एवं डी.ए. एरियर्स के भुगतान करने का उल्लेख नहीं किया गया है।
(2) लिपिकों की मांग के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

18. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विधायक विकास निधि को 1 करोड़ से 5 करोड़ करने का उल्लेख नहीं किया गया है।

मांग संख्या – 60

जिला परियोजनाओं से संबधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 52,75,00,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –23

श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विधायक निधि द्वारा अनुशंसित तथा स्वीकृत कार्यों के उचित क्रियान्वयन करने का उल्लेख नहीं किया गया है।

मांग संख्या –12

ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 24,67,85,76,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –13

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में बड़े उद्योगों से लंबित बिजली बिलों की वसूली करने का उल्लेख नहीं है।
(2) विद्युत उत्पादन संयंत्रों में बार–बार आ रही तकनीकी खराबी के सुधार करने का प्रावधान नहीं किया गया है।
(3) प्रदेश में विद्युत दरों में अप्रत्याक्षित वृद्धि को रोकने का प्रावधान नहीं किया गया है।
(4) प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में अद्योषित विद्युत कटोतियां रोकने का उल्लेख नहीं है।
(5) प्रदेश के विद्युतविहीन आंगनबाड़ी एवं स्कूलों के विद्युतीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
(6) विद्यतविहीन ग्रामों, मजरों–टोलों, पाटों में विद्युतीकरण का प्रावधान नहीं किया गया है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) घटिया ट्रांसफार्मर की खरीदी में रोक लगाने का प्रावधान नहीं है।
(2) प्रदेश में बिजली की दर में कमी करने का प्रावधान नहीं है।
(3) प्रदेश के किसानों को मुफ्त में बिजली देने का प्रावधान नहीं है।

3. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अभनपुर विधान सभा के सभी ग्रामों में विद्युत खम्बों के विस्तार के लिये राशि की स्वीकृति का प्रावधान नहीं है।
(2) प्रदेश में बिजली की बढ़ोतरी में कमी करने का प्रावधान नहीं है।
(3) एकल बत्ती कनेक्शन देने तथा गरीबों का बिजली बिल में देने का प्रावधान नहीं है।
(4) अभनपुर विधान सभा के महानदी एवं खारून नदी के किनारे के ग्रामों में सिंचाई पम्पों को विद्युत कनेक्शन देने विद्युत ट्रांसफार्मर, विद्युत लाईन एवं सब स्टेशन निर्माण करने का प्रावधान नहीं है।
(5) अभनपुर विधान सभा के अधिकांश ग्रामों में लो–वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने अतिरिक्त ट्रांसफार्मर तथा विद्युत खम्बों की स्वीकृति का प्रावधान नहीं है।

4. श्री कवासी लखमा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बस्तर संभाग में हो रही बिजली कटौती को रोकने का प्रावधान नहीं है।

5. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के नगरीय निकाय जैस तिफरा, सिरगिट्टी, बोहरी, बिल्हा, सरगांव, पथरिया के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत खम्बा लगाने तथा लाईन विस्तार करने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में विद्युत दर में कमी करने की योजना का उल्लेख नहीं है।
(2) सीतापुर में प्रत्येक विकासखण्डों में हो रही बिजली कटौती को रोकने का उल्लेख नहीं है।

7. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

कुरदर एवं उमरिया ग्राम (बैगा) पंचायतों एवं सात आश्रित ग्रामों में विद्युतीकरण करने का प्रावधान नहीं है।

8. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में हो रहे अघोषित विद्युत कटौती एवं लो–वोल्टेज की समस्या को रोकने में सरकार असफल रही है।

9. श्री गुरूमुख सिंह होरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

धमतरी में विद्युत कटौती एवं लो–वोल्टेज की समस्या को रोकने में सरकार असफल रही है।

10. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जांजगीर–चाम्पा विधान सभा क्षेत्र में विद्युत में सुधार की योजना का उल्लेख नहीं है।

11. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क बिजली देने का उल्लेख नहीं है।
(2) गैरा, कोचली हेतु बिजली सबस्टेशन हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

12. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र जैसे गीदम, दंतेवाड़ा आदि अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त वोल्टेज की विद्युत आपूर्ति करने तथा बिजली ट्रांसफार्मर स्थापित करने तथा सौर ऊर्जा से बिजली प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है।

13. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) लो– वोल्टेज समस्या दूर करने तथा बिजली ट्रांसफार्मर स्थापित करने का उल्लेख नहीं है।
(2) सरप्लस बिजली उत्पादन के बाद भी बिजली दरों में बढ़ोतरी को रोकने की ठोस योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
(3) खराब ट्रांसफार्मर की मरम्मत कर विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ करने का उल्लेख नहीं है।
(4) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित विद्युत कटौती को रोकने का उल्लेख नहीं है।

14. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सामरी विधान सभा के विद्युतविहीन ग्राम, मजरा, टोलों में शत–प्रतिशत विद्युतीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
(2) सामरी विधान सभा के ग्रामों में खराब ट्रांसफार्मरों को बदलकर नया लगाने का उल्लेख नहीं है।

(3) सामरी विधान सभा क्षेत्र के मनोहरपुर, उकरापाठ, उरसराई, दमकोड़ा, जोंकापाठ, लोहरापाठ, पोड़ीखुर्द, ओकरापाठ, करासी, कुहुडांड, जिंगनिया, सुरपरका, सोनपुर, चैनपुर में सौर ऊर्जा विद्युत प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है।
(4) राजपुर के ग्राम लाऊ महुआपारा में अतिरिक्त विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने का उल्लेख नहीं है।

15. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पेट्रोल–डीजल की कीमतों को कम करने का उल्लेख नहीं है।
(2) विद्युत संबंधी तकनीकी खराबी को रोकने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
(3) विद्युत दरों में हो रही बेतहाशा वृद्धि को रोकने का उपायों का उल्लेख नहीं है।
(4) ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित विद्युत कटौती को रोकने का उल्लेख नहीं है।
(5) विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने पर्याप्त बिजली ट्रांसफार्मर स्थापित करने का उल्लेख नहीं है।
(6) ग्राम पंचायत मोहरा में 33/11 के.व्ही. सब स्टेशन स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

16. श्री संतराम नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के किसानों को निःशुल्क बिजली देने का प्रावधान नहीं किया गया है।

17. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) कृषि कार्य हेतु विद्युत पम्प कनेक्शन के लिये किसानों को दिये जाने वाले अनुदान से खम्भें लगाने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश के किसानों को 24 घंटे निरंतर विद्युत आपूर्ति करने की योजना का उल्लेख नहीं है।
(3) मुख्यमंत्री एल.ई.डी. बल्ब योजना की गारंटी पीरियड के क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।
(4) अघोषित विद्युत कटौती को रोकने का उल्लेख नहीं है।
(5) किसानों के बिजली बिल माफ करने का उल्लेख नहीं है।
(6) पांच हार्स पावर तक किसानों को मुफ्त बिजली प्रदाय करने का कोई उल्लेख नहीं है।
(7) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापर करने वालों को एकलबत्ती कनेक्शन प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
(8) भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गठन का किसानों को नुकसान नहीं होने देने का कोई उल्लेख नहीं है।
(9) विद्युत दरों में हो रही बेतहाशा वृद्धि को रोकने का उपायों का उल्लेख नहीं है।
(10) सिंचाई हेतु किसानों को निःशुल्क बिजली की सीमा समाप्त करने का उल्लेख नहीं है।
(11) टी.सी. कनेक्शनधारी किसानों की बिजली नियमित करने का उल्लेख नहीं है।
(12) आदिवासी अंचल के मजरा–टोलों में बिजली पहुंचाने का कोई उल्लेख नहीं है।
(13) विद्युत उत्पादन में वृद्धि दर घट रही है जिसे बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

18. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बस्तर विधान सभा क्षेत्र में अनेक वर्षों से विद्युत खम्बे स्थापित किये गये किंतु विद्युत लाईन नहीं डाली गई। विद्युत लाईन खीचने का उल्लेख नहीं है।
(2) ग्राम पंचायत सवदा सवरापारा एवं आदिवासी पारा, सिवना गुड़ापारा विद्युत लाईन बिछाने का कोई उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश में विद्युत लाईन विस्तार करने हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति करने का उल्लेख नहीं है।
(4) बस्तर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बार–बार खराब ट्रांसफार्मर बदलने का उल्लेख नहीं है।
(5) बस्तर के किसानों द्वारा लिये गये अस्थाई विद्युत कनेक्शनों को स्थाई कनेक्शन में परिवर्तित करने का उल्लेख नहीं है।

(6) प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों/आंगनबाड़ी केन्द्रों में विद्युत कनेक्शन करने का कोई उल्लेख नहीं है।
(7) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कटौती की रोकथाम करने का उल्लेख नहीं है।
(8) प्रदेश के विद्युत सेवा हेतु पर्याप्त ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

19. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में लो–वोल्टेज की समस्या के समाधान करने का उल्लेख नहीं है।
(2) बिजली की दरों में हो रही वृद्धि को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 25

खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 7,08,78,79,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –12

1. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के जिला खनिज न्यासों में जिलों के समस्त निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सदस्य नामांकित किये जाने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन को रोक पाने में सरकार विफल रही है।
(3) प्रदेश में विभागों में हो रहे निर्माण कार्यों से खनिज रायल्टी की चोरी को रोकने में सरकार असफल रहीं हैं। ।
(4) प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में अवैध मुरूम एवं रेत उत्खनन एवं परिवहन को रोक पाने में सरकार विफल रहीं हैं।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) खनिज न्यास में समस्त विधायकों को सदस्य बनाने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश में अवैध खनिज उत्खनन रोकने योजना का उल्लेख नहीं है।

3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में बंद पड़े गिट्टी खदानों में भरे पानी के उपयोग की योजना नहीं है ।

4. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) रायपुर जिले में अवैध रेत एवं मुरूम उत्खनन को रोकने का प्रावधान नहीं है।
(2) प्रदेश में विभागों में हो रहे निर्माण कार्यों से खनिज रायल्टी की हो रही चोरी को रोकने में सरकार असफल रही है।
(3) प्रदेश में अभनपुर विधान सभा में अवैध मुरूम का उत्खनन एवं परिवहन रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं हैं। ।
(4) रेत, गिट्टी, मुरूम का ओव्हर लोड, अवैध परिवहन और चोरी को रोकने का उल्लेख नहीं हैं।
(5) प्रदेश में रेत खदानो पर अघोषित और अनाधिकृत ठेकेदारों पर रोक लगाने हेतु नीति बनाकर लागु करने का उल्लेख नहीं हैं। ।
(6) रेत खदानों पर हो रही पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाने का उल्लेख नहीं हैं।

5. श्री मनोज सिंह मंडावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मेरे विधान सभा क्षेत्र में अवैध रेत गिट्टी के उत्खनन रोकने के प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।

6. श्री गुरूमुख सिंह होरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जिला खनिज प्राप्त मद के व्यय पर क्षेत्र के विधायकों की सहमति आवश्यक किए जाने का प्रावधान नहीं है।

7. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पूरे प्रदेश में रेत व मुरूम के अवैध उत्खनन को रोकने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
(2) गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का उचित ढंग से वितरण का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश में अवैध खनिज उत्खनन रोकने हेतु योजना का उल्लेख नहीं हैं। ।
(4) प्रदेश में अनतरराजीय रेत परिवहन की रोकथाम का उल्लेख नहीं हैं।

8. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बिल्हा विधान सभा में अवैध डोलोमाईन्स पत्थर उत्खनन की रोकथाम का उल्लेख नहीं है।

9. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बस्तर जिले में गौण खनिज से प्राप्त राशि से हो रहे निर्माण कार्यो के निगरानी का उल्लेख नही है।
(2) प्रदेश में खनिज संसाधन न्यास के वितरण का उचित प्रावधान करने का उल्लेख नहीं है।
(3) बस्तर खनिज न्यास मद में वृद्वि करने का उल्लेख नहीं है।

10. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सोना, हीरा अलेक्जंड्राइट सहित कीमती धातुओं का खनन शासन द्वारा प्रारीा नहीं कराया जा रहा है और अवैध उत्खनन कराया जा रहा है।
(2) खनिज उत्पादन में वृद्वि दर घटी है जिसे बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
(3) खनिज संसाधन न्यास की राशि के संतुलित वितरण का उल्लेख नहीं है।
(4) छोटे खनिज पट्टे स्थानीय निवासियों को देने का उल्लेख नहीं है।
(5) कोयला ब्लाक की नीलामी से प्राप्त राशि किन योजनाओं में खर्च होगी ? का उल्लेख नहीं है।

11. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बस्तर जिले में अवैध रेज मुरूम गिट्टी मिट्टी नव निर्मित नेशनल हाईवे 30 में लगान चोरी रोकने के उपाय का उल्लेख नहीं है।
(2) बस्तर विधान सभा में अवैध रेत एवं मुरूम उत्खनन को रोकने का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश में रेत खदानों पर अघोषित और अनाधिकृत ठेकेदारों पर रोक लगाने हेतु नीति बनाकर लागु करने का उल्लेख नहीं हैं।
(4) गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का उचित ढंग से वितरण का उल्लेख नहीं हैं।
(5) प्रदेश में अवैध खनिज उत्खनन रोकने हेतु योजना का उल्लेख नहीं हैं।
(6) प्रदेश में गौण खनिज उत्खनन में शिक्षित बेरोजगारों युवाओं को जोड़ने योजना का उल्लेख नहीं हैं।
(7) जिला खनिज न्यास मद का निष्पक्ष उपयोग किये जाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं हैं।
(8) प्रदेश में जिला खनिज न्यास के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को सदस्य नामांकित किये जाने का उल्लेख नहीं हैं।

12. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

रेत खदान के लिए कोई कार्ययोजना नहीं है।

13. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के सभी प्रकार के खनिज पदार्थों का उत्खनन व उसके सीान पर भरवाई की दैनिक पादरर्शी पब्लिक मानिटरिंग ट्रांसमीटर डिस्प्ले व्यस्था के कोई प्रावधान नही है।

(2) दंतेवाड़ा में खनिज अयस्कों के सर्वेक्षण कार्य के दौरान प्रभावित हुए पुर्नवास व उसके व्यवस्थपन के लिए कारगर योजना का उल्लेख नहीं है।

14. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन को रोकने में सरकार असफल रही है।

मांग संख्या– 32

जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 2,25,47,50,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –24

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश योजनाओं के प्रचार–प्रसार में अनियमित भुगतान पर नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विज्ञापन वितरण में अनियमितता के रोकथाम हेतु उपायों का उल्लेख नहीं है।

3. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अभनपुर विधान सभा के अभनपुर एवं नवापारा में प्रेस क्लब खोलने का उल्लेख नहीं है ।
(2) जनसंपर्क विभाग द्वारा विभिन्न मिडिया को विज्ञापन देने में पक्षपात एवं भेदभाव को रोकने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है ।

4. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रत्येक पत्रकार का राज्य स्तर पर पंजीयक केन्द्र आबंटन सहित उनके लिए समूचे देश/प्रदेश में कुछ अनिवार्य–चिन्हांकित सेवाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है।

5. श्री बघेल लखेश्वर , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जन संपर्क विभाग द्वारा विभिन्न मिडिया को विज्ञापन देने में पक्षपात रोकने की योजना का उल्लेख नहीं है ।
(2) शासन द्वारा चलाई जा रही समस्त योजनाओं का प्रचार–प्रसार का पारदर्शिता बरतने का उल्लेख नहीं है ।

मांग संख्या– 71

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

मतदेय राशि **रूपये 4,16,07,84,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –43

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में वाई–फाई सेवा का विस्तार नहीं किया जा सका है ।
(2) प्रदेश आई.टी.सेक्टर में स्थानीय युवकों को रोजगार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में आई.टी. पार्क की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

3. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी नीति का लाभ समस्म प्रदेश वासियों को दिलाने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
(2) स्मार्ट कार्ड योजना के तहत हो रहे भ्रष्ट्राचार रोकने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

4. श्री बघेल लखेश्वर , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी नीति का लाभ समस्त प्रदेशवासियों को दिलाने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है ।
(2) स्मार्ट कार्ड योजना के तहत हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु ठोस उपाय का उल्लेख नहीं है ।

मांग संख्या– 65

विमानन विभाग

मतदेय राशि **रूपये 59,10,92,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 44

1. **श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   खराब हवाई पट्टी की मरम्मत /नवीनीकरण कर विकास करने का कोई उल्लेख नहीं है ।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   बस्तर –सरगुजा से हवाई सेवा प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

3. **श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश के सभी 27 जिला मुख्यालयों को राज्यीय विमान सेवाओं से जोड़ने का प्राथमिक लक्ष्य का उल्लेख नहीं है ।

4. **श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   बस्तर में हवाई सेवा शुरू करने की तिथि का उल्लेख नहीं है ।

5. **श्री गुरूमुख सिंह होरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   धमतरी के हवाई पट्टी निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

मांग संख्या – 82

अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि **रूपये 21,11,15,11,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

आदिवासी क्षेत्र में महिला छात्रावासों की सुरक्षा का उचित प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या – 33

आदिम जाति कल्याण

मतदेय राशि **रूपये 20,74,60,00,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 25

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के आश्रमों एवं छात्रावासों में रहने वाले बच्चों के चिकित्सा के पर्याप्त उपाय नहीं किये जा रहे हैं।
(2) आदिम जाति कल्याण विभाग के आश्रमों एवं छात्रावासों में सुरक्षा का प्रावधान नहीं है।
(3) जिला सरगुजा, विकासखंड उदयपुर अन्तर्गत बालक छात्रावास को 20 सीट से बढ़ाकर 50 सीट करने का उल्लेख नहीं है।
(4) जिला सरगुजा, विकासखण्ड उदयपुर अन्तर्गत नवीन 50 सीटर छात्रावास खोलने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) आदिम जाति कल्याण विभाग के आश्रमों एवं छात्रावासों में पर्याप्त सुरक्षा का प्रावधान नहीं है।
(2) बैगा जनजातियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजना का प्रावधान नहीं है।

3. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ट्राईबल छात्रावासों में छात्र–छात्राओं को गर्म कपड़े, कोट स्वेटर देने का प्रावधान नहीं है।
(2) मरवाही के बगरार के कन्या छात्रावास भवन का उल्लेख नहीं है।

4. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र के भवनविहीन बालक–बालिका छात्रावास के निर्माण का प्रावधान नहीं है।

5. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के आदिवासी कन्या छात्रावासों में निवासरत् छात्राओं की सुरक्षा के उपायों का उल्लेख नहीं है।
(2) जनजाति बाहुल्य गांवों के सर्वोंगीण विकास का उल्लेख नहीं है।
(3) आदिवासी छात्रावासों में गुणवत्ता युक्त भोजन का उल्लेख नहीं है।
(4) अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में निःशुल्क ट्यूबवेल सिंचाई हेतु खोदने का उल्लेख नहीं है।
(5) प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के आश्रमों के सभी भवनों को बनाने का उल्लेख नहीं है।
(6) अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों को जर्सी गाय देने का उल्लेख नहीं है।
(7) अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के बेरोजगारों को बैकलॉग पदों पर नियुक्ति देने का उल्लेख नहीं है।
(8) अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को यू.पी.एस.सी. कोचिंग देने का उल्लेख नहीं है।
(9) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति देने का उल्लेख नहीं है।

6. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) नगर पंचायत राजपुर में बालक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास भवन निर्माण सह अहाता निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रावधान नहीं है।
(2) राजपुर के सिधमा में प्री–मैट्रिक छात्रावास भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति दी जाने का उल्लेख नहीं है।

7. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

आदिवासियों के उत्थान के लिए कोई ठोस कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

8. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) छात्रावास/आश्रमों में छात्र–छात्राओं की मृत्यु की घटना को कम करने का उल्लेख नहीं है।
(2) आदिम जाति कल्याण विभाग के आश्रम/छात्रावासों में सुरक्षा का प्रावधान नहीं है।
(3) प्रदेश के छात्रावास/आश्रमों को विशेष सौंदर्यीकरण करने का प्रावधान नहीं है।
(4) बस्तर विधान सभा क्षेत्र में नवीन छात्रावास/आश्रम खोलने का उल्लेख नहीं है।
(5) प्रदेश के आदिवासियों के सर्वांगीण विकास हेतु योजना का प्रावधान नहीं है।
(6) प्रदेश के छात्रावासों/आश्रमों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्थ्ज्ञा कराने का प्रावधान नहीं है।
(7) प्रदेश के छात्रावासों/आश्रमों में खेलकूद सामग्री उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
(8) विधायक आदर्श ग्राम में शासन के मानदण्ड के अनुसार विकास कार्य करने के लिये राशि जारी किये जाने का उल्लेख नहीं है।
(9) स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण की राशि का पूर्ण भुगतान का उल्लेख नहीं है।
(10) आदिम जाति क्षेत्र के पंचायत शिक्षकों को प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह तक वेतन उनके खाते में आ जाना चाहिए, उसका उल्लेख नहीं है।

9. श्री संतराम नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

भवन विहीन बालक आश्रम के भवन निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

10. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बस्तर जिले के आश्रम / छात्रावासों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

11. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र के भवन विहीन आश्रम शाला/छात्रावास भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(2) छाल, हाटी में नवीन पोस्ट मैट्रिक कन्या/बालक छात्रावास खोलने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 41

अनुसूचित जनजाति उपयोजना

मतदेय राशि **रूपये 1,53,21,71,16,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

1. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) छात्रावास/आश्रमों में स्वास्थ्य परीक्षण छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह करने का उल्लेख नहीं है।
(2) बस्तर क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रो में 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
(3) बस्तर के प्राथमिक एवं सामुदायिक उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पड़े डॉक्टर एवं स्टाफ के पदों को भरने का उल्लेख नहीं है।
(4) छात्र/छात्राओं का जाति प्रमाण पत्र सरलीकरण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य वनांचल क्षेत्रों के स्कूली शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने की योजना का उल्लेख नहीं है।
(2) उच्चतर माध्यमिक शाला चिलपुरी में कृषि संकाय के संचालन का उल्लेख नहीं है।
(3) माध्यमिक शाला माकड़ी विकासखंड कोंडागांव का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने का उल्लेख नहीं है।
(4) कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक शाला बड़ेबेंदरी के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
(5) कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक शाला संबलपुर के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
(6) कोंडागांव जिला मुख्यालय में अन्य पिछड़ा वर्ग की कन्याओं के लिए 50 सीटर छात्रावास प्रारंभ किये जाने का उल्लेख नहीं है।
(7) कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक शाला हीरापुर के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 42

अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल

मतदेय राशि **रूपये 10,82,19,00,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

1. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्तर के विकासखंड बकावंड के ग्राम उड़ियापाल से फरसीगांव 5.30 कि.मी. सीसी सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
(2) विधान सभा क्षेत्र बस्तर के विकासखंड बकावंड के ग्राम पण्डानार मुख्यमार्ग से बेलगुड़ा सीसी सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
(3) विधान सभा क्षेत्र बस्तर के विकासखंड बकावंड के ग्राम भेलबेड़ा से पथरी सीसी सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
(4) विधान सभा क्षेत्र बस्तर के विकासखंड बकावंड के ग्राम कुन्छावंड से बेलपुटी सीसी सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
(5) विधान सभा क्षेत्र बस्तर के विकासखंड बकावंड के ग्राम बकावंड से मदरावगुड़ा बोरीगांव सीसी सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
(6) विधान सभा क्षेत्र बस्तर के विकासखंड बकावंड के ग्राम बारदा से बेलपुटी 3.60 किलोमीटर सीसी सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
(7) विधान सभा क्षेत्र बस्तर के विकासखंड बकावंड के ग्राम करंजी से कराहाभांटा 2.90 किलोमीटर सीसी सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

2. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अभनपुर विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में सड़कों, आंतरिक मार्गों पर कांक्रीट सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 49

अनुसूचित जनजाति कल्याण

मतदेय राशि **रूपये 6,87,10,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 25

1. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

राष्ट्रपति दत्तक पुत्र कोरवां जनजातियों के संरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

2. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विशेष पिछड़ी जनजाति के उत्थान के लिए बजट में उल्लेख नहीं है।
(2) वनवासियों एवं परम्परागत आदिवासियों की संस्कृति की रक्षा के उपायों का उल्लेख नहीं है।
(3) आदिवासियों की भूमि को संरक्षित रखने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण हेतु कोई विशेष योजना का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 53

अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि **रूपये 54,15,50,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 50

1. **श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों में मूलभूत सुविधाओं के विकास की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   अनुसूचित क्षेत्रों में नगरीय निकायों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के तहत कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या–64

अनुसूचित जाति उपयोजना

मतदेय राशि **रूपये 56,22,97,35,000**

बजट अनुमान पुस्तक कमांक – 50

1. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को मूलभूत सुविधाओं के कार्यों का प्रावधान नहीं है।

2. **श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) अभनपुर विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम चंडी, भरेंगा, उल्बा, परसदा, लमकेनी, झांकी, गातापार, नाराकबांधा, गोतिमपारडीह, आमनेर, अकोलीकला, अकोलीखुर्द, लींगाडीह में मंगल भवन एवं समरसता भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
   (2) अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को जोड़ने वाली सड़क भिलाई, अकोलीकला तक सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री रामदयाल उईके, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) कल्हरिया से जल्के वृहद पुल विकासखंड पोड़ीउपरोड़ा, जिला कोरबा का उल्लेख नहीं है।
   (2) कल्बापुर से मुरकुड़ी 8 किलोमीटर सड़क डामरीकृत किये जाने का उल्लेख नहीं है।
   (3) पिपरिया से जरौथा विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा, जिला कोरबा डामरीकृत सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 66

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण

मतदेय राशि **रूपये 2,71,83,50,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 25

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण की कोई योजना नहीं है।
(2) मदरसों में आधुनिक शिक्षा एवं कम्प्यूटर शिक्षा की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के माध्यम से कोई भी कार्य की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।

3. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अभनपुर विधान सभा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग विकास अभिकरण के माध्यम से कोई भी विकास कार्य की स्वीकृति प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

4. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिए पूर्ववर्ती योजनाएं चल रही थीं उसके आधार पर लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या – 68

अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–भवन

मतदेय राशि **रूपये 1,83,03,30,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

1. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मरवाही के सेमरदर्री में कन्या छात्रावास भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
(2) मरवाही के रूमगा में कन्या छात्रावास भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
(3) मरवाही के भर्रीडांड़ में कन्या छात्रावास भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

2. श्री रामदयाल उईके, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बतरा हायर सेकेण्ड्री स्कूल बतरा, विकासखंड पाली तानाखार, जिला कोरबा में मिनी स्टेडियम/इंडोर हॉल का उल्लेख नहीं किया गया है।
(2) जिला कोरबा के विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा में हायर सेकेण्ड्री स्कूल कोरसी के मैदान में मिनी स्टोडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

3. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के सरगांव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति भवन का प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या – 15

अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि रूपये **6,86,03,80,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 50

इस मांग पर कोई कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

मांग संख्या – 83

अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि रूपये 77,94,60,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

इस मांग पर कोई कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

मांग संख्या– 27

स्कूल शिक्षा

मतदेय राशि **रूपये 31,80,03,76,000**

बजट अनुमान पुस्तक कमांक –20

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) स्कूलों में शिक्षकों एवं अन्य रिक्त पड़े पदों पर भर्ती किये जाने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश के स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों, प्रयोगशाला लायब्रेरी इत्यादि का अभाव है।
(3) प्रदेश में अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी को पूर्णकालीन करने का उल्लेख नहीं है।
(4) जिला सरगुजा विकासखंड एवं अंबिकापुर मे संचालित हाईस्कूल केशवपुर का हायर सेकण्डरी में उन्नयन का उल्लेख नही है।
(5) जिला सरगुजा के विकासखंड लखनपुर स्थित प्राथमिक शाला तराजू का माध्यमिक शाला में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पाटन विधानसभा क्षेत्र के शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की कोई योजना नहीं है।

3. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अभनपुर, सिवनी, विद्यामंदिर परसदा एवं तामासिवनी के उच्चतर माध्यमिक शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
(2) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तोरला एवं सुन्दरकेरा के हाईस्कूल को हायर सेकण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
(3) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तोरला एवं कठिना में हाईस्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

4. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मेरे निर्वाचन क्षेत्र के न.नि.बिरगांव के शासकीय मिडिल स्कूल अछोली के उन्नयन का प्रावधान नहीं है।
(2) प्रदेश के स्कूल शिक्षा संस्थानों में रिक्त पदों पर भर्ती का प्रावधान नहीं है।
(3) शासकीय हाई स्कूल दतरेंगा के उन्नयन का प्रावधान नहीं है।
(4) मेरे विधानसभा क्षेत्र के न.नि.वार्ड–45 में हाई स्कूल पुरैना का उन्नयन का प्रावधान नहीं है।
(5) मेरे निर्वाचन क्षेत्र के न.नि.वार्ड –52 बोरिया खुर्द मिडिल स्कूल के उन्नयन का प्रावधान नहीं है।

5. श्री कवासी लखमा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बस्तर संभाग में भवन विहीन स्कूलों में भवन निर्माण की योजना का उल्लेख नहीं है।

6. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जांजगीर चांपा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पात्र मैट्रिक स्कूल से हाई स्कूल एवं हाई स्कूल से हायर सेकण्ड्री में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।
(2) शासकीय स्कूलों के पात्र छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहीं है।
(3) आदर्श ग्राम सेमरा के शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल के अहाता एवं भवन निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।

7. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम पंचायत तेन्दुआ में उच्चतर माध्यमिक शाला खोलने का उल्लेख नहीं है।
(2) नगर पंचायत पेण्ड्रा में 136 वर्ष पुराने प्राथमिक शाला (जनपद प्राथमिक शाला) के जीर्णोधार का उल्लेख नहीं है।
(3) करगीकला ग्राम पंचायत के हायर सेकेण्ड्री स्कूल में कृषि संकाय खोलने का उल्लेख नहीं है।
(4) मरवाही के साल्हेकोटा में हाई स्कूल भवन बनाने का उल्लेख नहीं है।
(5) शासकीय हायर सेकण्ड्री स्कूल भवन कोडवार के निर्माण उल्लेख नहीं है।

8. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) भानुप्रतापपुर विधानसभा के भवन विहीन स्कूलों में भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है।
(2) भानुप्रतापुर विधानसभा क्षेत्र के शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की योजना का उल्लेख नहीं है।
(3) मेरे विधान सभा क्षेत्र के भवन विहीन सकूलों के भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
(4) प्रदेश की स्कूलों में रिक्त शिक्षकों के पद पर भर्ती का उल्लेख नहीं है।
(5) स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) गैडारोला में कन्या माध्यमिक शाला का उन्नयन का उल्लेख नहीं है।
(2) तेलीनबांधा हाईस्कूल का उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

10. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पोस्ट मैट्रिक छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति दिलाने के समय सीमा का उल्लेख नहीं है।
(2) छात्र छात्राओं को गणवेश वितरण में गुणवत्ता का उल्लेख नहीं है।
(3) मल्टी परपज हायर सेकण्डरी स्कूल पेण्ड्रा के भवन में आर.सी.सी. छत ढलाई का उल्लेख नहीं है।
(4) जनपद प्राथमिक शाला पेण्ड्रा के 136 साल पुराने भवन के जीर्णोधार का उल्लेख नहीं है।
(5) मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोइयों के मानदेय की वृद्वि का उल्लेख नहीं है।
(6) स्कूली बच्चों को शिक्षण सत्र प्रारंभ होते ही पाठ्य पुस्तक दिलाने का उल्लेख नही है।
(7) स्कूलों में कार्यरत स्वीपरों का मानदेय बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
(8) सभी स्कूलों में शौचालय निर्माण कार्य जल्द पूर्ण कराने का उल्लेख नहीं है।
(9) शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
(10) प्रदेश के सभी स्कूलों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने एवं बिजली बिल पटाने की राशि उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
(11) मध्यांह्न भोजन योजना की गुणवत्ता सुधार का उल्लेख नहीं है।
(12) सरस्वती सायकल योजना का लक्ष्य पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।
(13) शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

(14) जनभागीदारी से संचालित कन्या हाईस्कूल सरकारी पारा पेण्ड्रा में शासन द्वारा सेटअप लागू करने का उल्लेख नहीं है।
(15) प्रदेश के स्कूलों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की कमी का उल्लेख नहीं है।

11. डॉ. प्रीतम राम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) क्षेत्र के भवन विहीन स्कूलों में भवन निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
(2) क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों की तत्काल पूर्ति का उल्लेख नहीं है।
(3) शंकरगढ़ जोकापाठ हाईस्कूल की हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने उल्लेख नहीं है।
(4) शंकरगढ़ भरतपुर, बेलसर हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।
(5) सामरी विधानसभा क्षेत्र के समस्त जर्जर स्कूलों का तत्काल जिर्णोधार एवं मरम्मत का उल्लेख नहीं है।

12. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मोहला–मानपुर विधानसभा क्षेत्र के मुरेटीटोला में कृषि हाईस्कूल खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
(2) मोहला–मानपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मुकादाह मिडिल स्कूल भवन बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।
(3) मोहला–मानपुर विधानसभा क्षेत्र के करसतरा में हाईस्कूल भवन बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।
(4) मोहला–मानपुर विधानसभा क्षेत्र के उ.मा.शाला भवन सिंघाभेड़ी में बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।
(5) मोहला–मानपुर क्षेत्र के हथरा में उ.हा.सेकण्ड्री स्कूल भवन बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।
(6) मोहला–मानपुर विधानसभा क्षेत्र के ककईपार हाईस्कूल में भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(7) मोहला–मानपुर विधानसभा क्षेत्र के ठाकुरबांधा में प्राथमिक शाला भवन बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।
(8) शैक्षाणिक संस्थाओं में आदिवासी अंचल में शैक्षाणिक स्टॉफ उपलब्ध कराने में सरकार पूर्ण रूप से असफल रहीं है।
(9) मोहला–मानपुर क्षेत्र के पुत्तरगोंदी के प्राथमिक शाला भवन बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

13. श्री पारसनाथ राजवाड़े, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) भटगांव विधानसभा अन्तर्गत नवीन हाई स्कूल, हायर सेकण्री खोलने का प्रावधान नहीं है।
(2) सूरजपुर जिले के भटगांव विद्यालय में कृषि संकाय को खोलने का प्रावधान नहीं है।

14. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में निजी शालाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। इन शालाओं में शासन का नियंत्रण नही है।
(2) शालाओं में दर्ज संख्या के आधार पर पर्याप्त कमरों की व्यवस्था करने में सरकार असफल रही है।
(3) शालाओं में समय पर पाठ्य पुस्तक एवं गणवेश वितरण करने में सरकार विफल रही है।
(4) प्रदेश की शालाओं में पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था करने में सरकार विफल रहीं है।

15. श्री संतराम नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शासकीय हाई स्कूल पेण्ड्रावन शासन विहीन है, बजट में नवीन भवन बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।
(2) बड़ेराजपुर ब्लाक के शासकीय हाई स्कूल कोसमी भवन विहीन है भवन बनाने का उल्लेख नहीं है।
(3) शा.उ.मा.वि.सिंगनपुर, हाई स्कूल भवन में संचालित है, नवीन उ.मा.वि. भवन बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।
(4) बड़ेराजपुर ब्लाक में माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
(5) शासकीय हाई स्कूल कबोगा मा.शा. भवन में संचालित है नवीन हाई स्कूल भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(6) शासकीय हाई स्कूल भोगापाल मा.शा. संचालित है नवीन हाई स्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नही है।
(7) भवनविहीन छात्रावास बिन्झे हेतु भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(8) फरसगांव ब्लाक के हाई स्कूल उरूदावेज को उ.मा.वि. में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
(9) हाई स्कूल जामगांव वि.ख. केशकाल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
(10) भवनविहीन कन्या आश्रम में भवन निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
(11) भवनविहीन बालक आश्रम मैनपुर में भवन स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
(12) भवनविहीन बालक आश्रम लोनगुड में भवन निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
(13) प्रि. में बालक छात्रावास में नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
(14) भवनविहीन प्री. में बालक छात्रावास बडबत्तर में नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
(15) भवनविहीन प्री. में बालक छात्रावास होनहेड हेतु नवीन भवन की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
(16) शा.उ.मा.वि.मांझी आठगांव, हाई स्कूल भवन में संचालित है, नवीन उ.मा.वि.भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
(17) शा.उ.मा.वि. शंकरपुर, हाईस्कूल भवन में संचालित है, नवीन उ.मा.वि.भवन निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
(18) शा.उ.मा.वि.गारावण्डी शास.हाई स्कूल में संचालित है, नवीन उ.मा.वि. भवन निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
(19) शासकीय हाई स्कूल कोहकामेटा, मिडिल स्कूल में संचालित है, नवीन हाई स्कूल भवन निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।

16. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शासकीय बालक हायर सेकेण्डरी स्कूल गुरूर के जर्जर भवन के स्थालन पर नवीन भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
(2) विकासखण्ड बालोद के शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल पीपरछेड़ी के जर्जर भवन के स्थान पर नवनी भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
(3) शालेय बच्चों को समय पर पाठ्यपुस्तक एवं गणवेश वितरण करने में सरकार असफल रही है।
(4) प्रदेश के शालाओं में शिक्षकों की कमी की पूर्ति का उल्लेख नहीं है।
(5) जर्जर शाला भवनों के स्थान पर नवीन शाला भवन बनाने का उल्लेख नहीं है।
(6) प्रदेश की शालाओं में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति प्रदान करने में सरकार असफल रही है।

17. श्रीमती अनिला भेंड़िया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं का उन्नयन का उल्लेख नहीं है।
(2) डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं के भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

18. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) निःशक्त स्कूल कचादुर को पुनः प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
(2) जनभागीदारी से संचालित स्कूल परसाकी व भाठागांव को शासकीयकरण करने का उल्लेख नहीं है।
(3) स्कूलों में कार्यरत स्वीपरों का मानदेय बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है।
(4) शिक्षाकर्मियों के संविलियन करने का उल्लेख नहीं है।
(5) शिक्षा विभाग में रिक्त पद की भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
(6) हाई व हायर सेकण्डरी भवन निर्माण डोंगीतराई का उल्लेख नही है।
(7) हाई स्कूल भवन निर्माण भरदाकला का उल्लेख नहीं है।
(8) हायर सेकण्डरी भवन भरदाकला का उल्लेख नहीं है।

19. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) स्कूलों में मध्याह्न भोजन के गुणवत्ता बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
(2) स्कूलों के जाने पहुंच मार्गो में सी.सी.रोड निर्माण की योजना का उल्लेख नहीं है।
(3) स्कूलों में शिक्षकों की कमी है।
(4) आहाता विहीन प्रा.शाला मा.शा. निर्माण का उल्लेख नहीं है।
(5) नवीन हाईस्कूल खोलने चितिया ग्राम का उल्लेख नहीं है।
(6) भवनविहीन शाला अभडण्डा का उल्लेख नही है।

20. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के मॉडल स्कूलों का निजीकरण रोकने की योजना का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से वसूली की जारी फीस को कम करने का उल्लेख नहीं है।
(3) बस्तर जिले के स्कूलों में अहाता निर्माण का उल्लेख नहीं है।
(4) प्रदेश के मध्यान्ह भोजन रसोइयों के मानदेय में वृद्धि का उल्लेख नहीं है।
(5) चित्रकोट विधानसभा के हाईस्कूलों के उन्नयन का उल्लेख नहीं है।
(6) प्रदेश के भवनविहीन स्कूल भवनों का निर्माण कराने का उल्लेख नही है।
(7) प्रदेश की स्कूलों में रिक्त शिक्षकों के पदो पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
(8) चित्रकोट विधानसभा में संचालित मॉडल स्कूलों निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

21. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत स्वीपरों का मानदेय वृद्धि एवं नियमित करने का उल्लेख नहीं है।

22. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश की सभी सरकारी व निजी स्कुलों मे पढ़ रहे नर्सरी से कक्षा पहली तथा कक्षा पहली से 12वी तक अध्ययन कर रहे नियमित छात्रों के लिए दुर्घटना व स्वास्थ्य बीमा राशि योजना का उल्लेख नहीं है।

23. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शिक्षाकर्मियों का नियमित वेतन भुगतान करने के संबंध में कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(2) खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड छुईखदान के शास.प्रा.शाला हनईबन को माध्यमिक शाला में उन्नययन करने का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश के शिक्षा कर्मियों का संविलियन करने का उल्लेख नहीं है।
(4) खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शिक्षक विहीन प्राथ.माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकण्ड्री स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का उल्लेख नहीं है।
(5) शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारे जाने संबंधी योजना का उल्लेख नहीं है।
(6) प्रदेश के शिक्षाकर्मियों के अनुकंपा नियुक्ति किये जाने का उल्लेख नहीं है।
(7) प्रदेश के स्कूलों में कार्य कर रहे रसोइयों के मानदेय बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है।

24. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जिला बलौदाबाजार, भाठापरा में केन्द्रीलय विद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

25. श्री केशव चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विकासखण्ड जैजैपुर के ग्राम भातमाहुल में हाई स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।
(2) विकासखंड जैजैपुर के ग्राम परसदा में हाईस्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।
(3) विकासखंड जैजैपुर के ग्राम झालरौंदा में हाईस्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।
(4) विकासखंड बम्हनीडीह के ग्राम लखाली में हाईस्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।
(5) विकासखंड जैजैपुर के ग्राम रायपुरा में हायर सेकेण्डरी खोलने का उल्लेख नहीं है।
(6) विकासखंड जैजैपुर के ग्राम भोथीडीह में हायर सेकेण्डरी खोलने का उल्लेख नहीं है।
(7) विकासखंड जैजैपुर के ग्राम बेलाडुला में हायर सेकेण्डरी खोलने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 3

पुलिस

मतदेय राशि **रूपये 43,09,70,67,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 02

1. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में व्यवस्त चौक–चौराहों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का प्रावधान नहीं है ।
(2) प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का उल्लेख नहीं है ।
(3) महिला उत्पीड़न एवं मानव तस्करी को रोकने का उल्लेख नहीं है ।
(4) प्रदेश में फर्जी नक्सली मुठभेड़ की घटनाओं को रोकने का उल्लेख नहीं है ।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को नियंत्रित करने का उल्लेख नहीं है ।
(2) महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने का उल्लेख नहीं है ।

3. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं हिंसा की घटनाओं की रोकथाम करने का प्रावधान नहीं है।
(2) महिला उत्पीड़न एवं मानव तस्करी को रोकने का उल्लेख नहीं है ।
(3) प्रदेश में जुआ, सट्टा आदि की रोकथाम करने का उल्लेख नहीं है।
(4) प्रदेश में चिटफंड कंपनियों के संचालकों को गिरफ्तार कर उनकी संपत्ति जब्त कर निवेशकों की राशि लौटाने का उल्लेख नहीं है।
(5) प्रदेश में अवैध शराब बिक्री रोकथाम हेतु सभी थानों में अलग से पुलिस बल नियुक्त करने का प्रावधान नहीं है।
(6) प्रदेश के गांव–गांव में अवैध शराब बिक्री खुलेआम की जा रही है, जिसे रोकने में पुलिस प्रशासन असफल रहा है।
(7) प्रदेश में मानव तस्करी रोकने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में बढ़ रहे अपराध के नियंत्रण का प्रावधान नहीं है।
(2) प्रदेश में महिला उत्पीड़न एवं मानव तस्करी की घटनाओं को रोकने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री अरूण वोरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर नियंत्रण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

6. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बस्तर संभाग में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के नियंत्रण का प्रावधान नहीं है।

7. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सिलहरी से पासीद नगपुरा से छाल सड़क सुदृढीकरण करने का प्रावधान नहीं है।

8. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित अतिसंवेदनशील क्षेत्रों इलेक्ट्रानिक्तस सुविधा पहुंचाने सूचना संवहन सम्प्रेषण केन्द्रों की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। पूर्ण शराबबंदी करने हेतु कोई का प्रावधान नहीं है।

10. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में बढ़ते अपराधों के नियंत्रण करने में सरकार असफल रही है।
(2) महिलाओं एवं बालिकाओं उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम करने में सरकार असफल रही है।
(3) पुलिस कर्मियों के आवास निर्माण हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

11. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में गांजा एवं मादक दृव्यों की अवैध बिक्री हो रही है। नियंत्रण करने का प्रावधान नहीं है।
(2) प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। पूर्ण शराबबंदी करने हेतु कोई का प्रावधान नहीं है।

12. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। पूर्ण शराबबंदी करने हेतु कोई का प्रावधान नहीं है।

13. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में बढ़ते अपराध की घटनाओं को नियंत्रित करने का उल्लेख नहीं है।
(2) ग्राम पंचायत अर्जुनी विकासखण्ड बलौदाबाजार में पुलिस चौकी खोलने हेतु कोई का प्रावधान नहीं है।

14. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में हो रही फर्जी मुठभेड़ को रोकने में सरकार असफल रही है।
(2) प्रदेश में आदिवासी महिलाओं के साथ हो रही बलात्कार की घटनाओं की रोकथाम करने में सरकार असफल रही है।
(3) प्रदेश में बढ़ रहे अपराध की घटनाओं को नियंत्रित करने का उल्लेख नहीं है।
(4) प्रदेश में महिला उत्पीड़न एवं मानव तस्करी की घटनाओं को रोकने का उल्लेख नहीं है।
(5) पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन/भत्ते बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

15. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बस्तर में नक्सली घटनाओं को रोकने में सरकार असफल रही है।
(2) पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन/भत्ते बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश में अपराध प्रकरण के संबंध में चालान न्यायालय में समय पर प्रस्तुत करने का उल्लेख नहीं है।
(4) प्रदेश में हो रहे अपराधों में वृद्धि को नियंत्रित करने का उल्लेख नहीं है।
(5) प्रदेश की महिलाओं व बच्चों पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं को रोकने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 4

गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

मतदेय राशि **रूपये 45,01,95,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 2

1. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में नक्सल समस्या के समाधान करने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में यातायात की समुचित व्यवस्था नहीं होने से सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है, यातायात को सुगम–व्यवस्थित बनाने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश में नक्सल समस्या दिनो दिन बढ़ रही है, समस्या का समाधान निकालने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री कवासी लखमा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में लगातार हो रही नक्सली समस्या के नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में से सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है, नियंत्रित करने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश में नक्सल समस्या दिनो दिन बढ़ रही है, समस्या का समाधान निकालने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के तिफरा, सिरगिटी, बोदरी, बिल्हा, सरगांव, पथरिया एवं बिलासपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 54, 65, 66 में शुद्ध पेयजल उपलबध कराने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पुलिस विभाग में अवैध वसूली को रोकने का उल्लेख नहीं है।
(2) नक्सल समस्या के समाधान करने का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश के पुलिस कर्मियों को शासकीय आवास उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
(4) बस्तर विधान सभा क्षेत्र एवं विकाखण्ड बकावण्ड में पुलिस चौकी का थाना में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
(5) बस्तर विधान सभा क्षेत्र में नई पुलिस चौकी खोलने का उल्लेख नहीं है।

7. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश की नक्सल समस्या समाप्त करने हेतु कोई ठोस उपायों का प्रावधान नहीं है।

8. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
(2) झीरम घाटी की घटना की सी.बी.आई. जांच कराने का उल्लेख नहीं है।
(3) बस्तर में नक्सली हिंसा प्रभावितों को सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
(4) नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत पुलिस कर्मियों की सुविधा बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
(5) प्रदेश में चिटफंड कम्पनियें के अवैध कार्यों का रोकने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नवीन थाना खोलने की योजना का उल्लेख नहीं है।

10. श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नक्सल समस्या के निराकरण हेतु कोई ठोस कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।

11. श्री संतराम नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में नक्सली उन्मूलन के प्रभावी योजना का उल्लेख नहीं है।
(2) बस्तर संभाग में नक्सलियों के नाम पर क्षेत्र के आदिवासियों पर पुलिस द्वारा बर्बर कार्यवाही की जाती है जिसे रोकने का उल्लेख नहीं है।

12. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सामरी विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चुनचुना, मुंदाग, चाहू की नक्सली समस्या को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
(2) शंकरगढ़–कुसमी के बीच डिपाडीह अथवा दुर्गापुर में नवीन पुलिस थाना की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
(3) राजपुर जिला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

13. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में नक्सलवाद को समाप्त करने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रशासनिक आतंकवाद को रोकने का उल्लेख नहीं है।

14. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मानपुर पुलिस उपजिला को जिला का दर्जा देने का उल्लेख नहीं है।
(2) मोहला–मानपुर (आदिवासी क्षेत्र) को जिला बनाने का उल्लेख नहीं है।

15. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में नक्सली हमलों को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
(2) नगर सेना के पद पर पदस्थ कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ पुलिस के समान देने का उल्लेख नहीं है।
(3) नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत पुलिस एवं सैनिक परिवारों को 1 करोड़ रू. बीमा राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश के बाहर दूसरे प्रदेश में बंधुआ मजदूर के रूप में कार्यरत मजदूरों को वापस लाकर रोजगार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
(5) प्रदेश से गायब हुई अनेक लड़कियों को खोजने के लिये पुलिस गंभीर नहीं है।
(6) प्रदेश में मानव तस्करी को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
(7) महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का उल्लेख नहीं है।
(8) नक्सल प्रभावित क्षेत्र में फर्जी मुठभेड़ रोकने का उल्लेख नहीं है।
(9) महिलाओं और बच्चियों के बलात्कार की घटनाओं को रोकने का उल्लेख नहीं है।
(10) शराब कोचियों के द्वारा प्रदेश में अवैध शराब की खपत को रोकने का उल्लेख नहीं है।
(11) मानव अधिकारों की रक्षा करने का उल्लेख नहीं है।
(12) चिटफंड कम्पनी की ठगी के शिकार लोगों की राशि वापस लौटाने का उल्लेख नहीं है।
(13) नक्सल समस्या के समाधान करने का उल्लेख नहीं है।

16. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में यातायात की समुचित व्यवस्था नहीं होने से सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इसे रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
(2) बस्तर के पुलिस जवानों के लिये अतिरिक्त सुरक्षा प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

17. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश में बढ़ रहे अपराध हत्या, डकैती, बलात्कार, चोरो को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश में आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों का सहायता राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
(4) प्रदेश में चिटफंड कम्पनियों द्वारा धोखाधड़ी कर नागरिकों की राशि हड़प करने के विरूद्ध कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(5) प्रदेश में अवैध पशु तस्करी को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
(6) प्रदेश में गांव–गांव में अवैध शराब की बिक्री खुले आम की जा रही है, रोकने का उल्लेख नहीं है।
(7) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नवीन पुलिस चौकी खोलने का उल्लेख नहीं है।
(8) प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में अनेक मौत हो रही है जिसको रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
(9) प्रदेश में मानव तस्करी की घटनाओं को रोकने का उल्लेख नहीं है।
(10) प्रदेश में जुआ–सट्टा आदि को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
(11) प्रदेश में नक्सली घटनाओं को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
(12) प्रदेश में आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों का सहायता राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 5

जेल

मतदेय राशि **रूपये 1,74,32,23,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 3

1. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रखे गये है। जेलों की क्षमता बढ़ाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है ।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जेलों की क्षमता बढ़ाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है ।
(2) प्रदेश की जेलों में कैदियों की सुविधाएं बढ़ाने के संबंध में कोई का प्रावधान नहीं है ।

3. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जेलों में रहने वाले कैदियों के लिये पर्याप्त मात्रा में बैरक नहीं है तथा उनके भोजन की उचित व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है ।

4. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश की जेलों में कैदियों के खान–पान की व्यवस्था में सुधार के उपायों का उल्लेख नहीं है।
(2) बस्तर में खुली जेल पुनः प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
(3) उम्रकैद की सजा काट रहे कैदियों द्वारा अच्छा आचरण करने के पश्चात् भी उनकी सजा कम कर रिहा करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
(4) प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रखे गये है। जेलों की क्षमता बढ़ाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।
(5) प्रदेश की जेलों में कैदियों की मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।
(6) प्रदेश में स्थापित जेलों के विस्तार की योजना के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

5. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखा जा रहा है, जेल गृहों की क्षमता बढ़ाने तथा अतिरिक्त जेल निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

6. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के बेहतर आचरण–व्यवहार एवं स्वस्थता के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

7. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रह रहे हैं, जेल गृहों की क्षमता बढ़ाने तथा अतिरिक्त जेल गृह निर्माण करने का प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या – 20

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

मतदेय राशि **रूपये 6,78,66,64,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 34

1. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष, विधान सभाः एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था के स्थायी समाधान का उल्लेख नहीं है ।
(2) प्रदेश में गिरते भूमिगत जल स्त्रोत को रोक पाने में विभाग असफल रहा है ।
(3) पेयजल हेतु उचित प्रावधान नहीं है ।
(4) प्रदेश में भू–जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कार्ययोजना का प्रावधान नहीं है ।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) गांवों में नल–जल योजना हेतु प्रावधान नहीं है ।
(2) गांवों प्रत्येक पारा–टोला में पेयजल व्यवस्था का प्रावधान का उल्लेख नहीं है ।

3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के गिरते जल सतर पर रोक लगाने का प्रावधान का उल्लेख नहीं है ।
(2) पुराने कुंओं/बावलियों के संरक्षण का प्रावधान नहीं है ।
(3) प्रदेश में ग्रीष्म काल के समय में पेयजल आपूर्ति की कोई प्रावधान नहीं है ।

4. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अभनपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में सोलर पंप नलकूल लगाने का उल्लेख नहीं है ।
(2) अभनपुर विधान सभा क्षेत्र के नलकूप में पानी नहीं आ रहा है, जिसमें पाइप बढ़ाने का उल्लेख नहीं है ।
(3) अभनपुर विधान सभा क्षेत्र के 2000 से अधिक आबादी वाले सभी ग्रामों में नलजल योजना स्वीकृत करने का उल्लेख नहीं है ।
(4) अभनपुर विधान सभा क्षेत्र में नये नलकूप उत्खनन करने तथा बंद पड़े नलकूपों को सुधारने का उल्लेख नहीं है ।
(5) अभनपुर विधान सभा क्षेत्र के सभी ग्रामों में दो–दो की संख्या में नये नलकूप स्थापित करने का उल्लेख नहीं है।
(6) प्रदेश में भूमिगत जल में निरंतर हो रही गिरावट को रोकने के प्रावधानों का उल्लेख नहीं है ।

5. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) रतनपुर धार्मिक नगरी एवं नगर पालिका में जल आवर्धन योजना की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
(2) शुद्व पेयजल हेतु डेड़ हजार से अधिक आबादी के गांव में नज जल योजना प्रांरभ करने का उल्लेख नहीं है।
(3) पेन्ड्रा व कोटा नगर पंचायत में जल आवर्धन योजना स्वीकृत करनेका उल्लेख नहीं है ।
(4) डांडबधाली एवं विटकुली ग्राम पंचायत में नलजल योजना स्वीकृत करने का उल्लेख नहीं है ।
(5) नगर पंचायत पेण्ड्रा में जल आवर्धन योजना जल्द प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री मनोज सिंह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

भानुप्रतापुर विधानसभा क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है ।

7. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में शुद्व पेयजल उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है ।

8. श्री अरूण वोरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

दुर्ग शहर में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के शीघ्र स्थायी समाधान का उल्लेख नहीं है ।

9. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के कई गांवों जैसे विदबिहा पेना नगपुरा आदि में शुद्व पेयजल की व्यवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया गया है ।

10. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्व पेयजल व्यवस्था के स्थायी समाधान का उल्लेख नहीं है ।
(2) प्रदेश में सार्वजनिक स्थल, हाटबाजरा, देवगुड़ी मौनागुड़ी, शमशान घाट आदि में पेयजल सुविधा हेतु नलकूप व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रावधान का उल्लेख नहीं है ।
(3) विधान सभा क्षेत्र बस्तर के सभी गावों में नये नलकूप खनन करने तथा बन्द पड़े नलकूपों की सुधार करने का उल्लेख नहीं है ।
(4) विधान सभा क्षेत्र बस्तर के विकासखण्ड बस्तर में विभिन्न ग्राम पंचायतों में भूजल स्तर की गिरावट से नलकूप खनन नहीं हो रहा है नलकूपों की गहराई बढ़ाने का उल्लेख नहीं है ।
(5) बस्तर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में सौंपे उर्जा हेंड पंप लगाने का उल्लेख नहीं है ।
(6) प्रत्येक ग्राम पंचायत में नल जल योजना प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है ।
(7) बस्तर में नल जल योजना में व्याप्त अनियमितताओं का जांच करने का उल्लेख नहीं है ।
(8) बस्तर विधान सभा में कई वर्षों से बने अंकी पानी को चालू करने का उल्लेख नहीं है ।

11. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जांजगीर चांपा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित नल जल योजना का क्रियान्वयन बराबर नहीं होने से गंभीर पेयजल समस्या के निराकरण का उल्लेख नहीं किया गया है ।
(2) जांजगीर नैला नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत गंभीर पेयजल संकट से निपटने के कोई उपाय नहीं हुआ है अभी स्वीकृति का उल्लेख नहीं किया गया है ।

12. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम गब्दी में पेयजल की नल जल योजना व गब्दी ओडारसकरी मार्ग मोहदीपक खुरसुल मार्ग का उल्लेख नहीं है ।
(2) उच्च स्तरीय जलागार एवं पाईपलाईन विस्तार गुण्डरदेही के लिए कोई उल्लेख नहीं है ।
(3) पानी टंकी निर्माण बघमरा का कोई उल्लेख नहीं है ।
(4) वाटर फिल्टर प्लांट गुण्डरदेही का कोई उल्लेख नहीं है ।
(5) आर्जनिरिकरी में पेयजल टंकी निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है ।
(6) पानी टंकी निर्माण सिकोला, अंकी डिपाजिट चैकगंज टंकी संधारण परसतराई, नलजल योजना परसबाकी डेगरापाट, गन्नवागांव, महराजपुर, फुलसुंदरी, मुजुगहन गोडर्रा राघेनवागांव कोई उल्लेख नहीं है ।

13. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में दूषित पेयजल से प्रभावित ग्रामों में शुद्व पेयजल आपूर्ति का उल्लेख नहीं है ।
(2) खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जल प्रदाय योजना के तहत कार्य की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
(3) खैरागढ़ विधानसभा अंतर्गत जलसंकट को दूर करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(4) खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(5) प्रदेश के उद्योगों में लंबित जलकर वसूली की कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
(6) भूमिगत जल में निरंतर हो रही गिरावट को रोकने का उल्लेख नहीं है।

14. श्री गुरूमुख सिंह होरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

धमतरी जिले में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की योजना का प्रावधान नहीं है।

15. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सम्पूर्ण दंतेवाड़ा जिले में लाल पानी के शुद्विकरण सहित शुद्व पेयजल आपूर्ति की योजनाओं के विस्तार की कोई उपाय नहीं है।

16. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) चित्रकोट विधानसभा के ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में शुद्व पेयजल उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
(2) चित्रकोट विधानसभा के आयरन युक्त पानी के निराकरण करने का उल्लेख नहीं है।

17. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी हेतु हेंडपम्प खनन की योजना का प्रावधान नहीं है।
(2) ग्रामीण क्षेत्रों में नल–जल योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।

18. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मोहला मानपुर क्षेत्र के देवरसुर में नल–जल योजना का उल्लेख नहीं है ।

19. डॉ. प्रीतम राम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सामरी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल सुविधा की वृद्वि से नल–जल योजना का प्रावधान नहीं किया गया है ।
(2) सामरी विधान सभा क्षेत्र के समस्त ग्राम पंचायतों में दिये गये प्रस्ताव अनुसार हेंडपम्प खनन स्थापना कार्यो की स्वीकृति का उल्लेख नहीं किया गया है।

20. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में भू–जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कार्ययोजना का प्रावधान नहीं है।
(2) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्व पेयजल व्यवस्था के स्थायी समाधान का उल्लेख नहीं है।
(3) ग्रीष्म कालीन समय में पेयजल समस्या के निराकरण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
(4) भू–जल स्तर के घटते स्तर को बनाये रखने हेतु उपाय नहीं है।

21. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में भू–जल स्तर में तेजी से आ रही गिरावट पर रोक लगाने के लिए कार्य योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।
(2) सूखा प्रभावित पेण्ड्रा गौरेला मरवाही में पेयजल की सुविधा बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
(3) सूखा प्रभावित मरवाही विधान सभा क्षेत्र में पेयजल एवं निस्तारी जल के व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है।
(4) ग्राम सुपेबेड़ा में शुद्व पेयजल की जल्द आपूर्ति का उल्लेख नहीं किया गया है ।
(5) पेयजल की व्यवस्था सुलभ करने के लिए प्रत्येक गांवों में हेण्डपम्प मे सबमर्सिबल पम्प लगाने का उल्लेख नहीं किया गया है।
(6) सभी को शुद्व पेयजल उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं किया गया है।
(7) नल–जल योजना का लाभ ग्रामीणों को सही ढंग से पहुंचाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

22. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बस्तर में भू–जल स्तर में वृद्वि करने के उपायों को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
(2) शालाओं में स्वच्छ पेयजल के स्त्रोत उपलब्ध कराने में सरकार असफल रहीं है ।